१८. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/ विश्वविद्यालय के विद्यापरिषद् द्वारा उपर्युक्त नियमों के संबंध में कोई परिवर्तन या संशोधन किये जाने की स्थिति में संशोधित- नियम विश्वविद्यालय में तत्काल प्रभाव से लागू स्वीकार किये जायेंगे।

१८.१ सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी विद्यावारिधि नियमावली 2024 के किसी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में कुलपति की संस्तुति के उपरान्त स्पष्टीकरण के लिये विद्यापरिषद् के विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

१८.२ विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा इस विनियम के प्रावधानों में संशोधन, परिवर्तन या उसके निरस्तीकरण का सुझाव विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् को किया जा सकता है, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

१९. **पुनः पंजीकरण**- पुनः पंजीकरण के लिए शोधार्थी द्वारा दिए गए कारण एवं उनके शोधनिर्देशक, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष की संस्तुति के बाद अनुसन्धान उपाधि समिति शोधकार्य के परीक्षणोपरान्त अनुमति प्रदान कर सकता है। पुनः पंजीकरण करवाने की अवधि दो वर्ष की होगी। सम्बन्धित शोध छात्र को पुनः पंजीकरण की अवधि में शोध प्रबन्ध जमा करवाना अनिवार्य होगा। अन्यथा पंजीकरण निरस्त माना जायेगा।

२०. **शोधप्रबन्ध की भाषा**- शोधप्रबन्ध की भाषा सामान्यतः संस्कृत, पाली अथवा प्राकृत होगी। विशेष परिस्थिति में अनुसन्धान-उपाधि-समिति हिन्दी या भोट भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकती है। भाषाविज्ञान, सामाजिक विज्ञान विभाग तथा शिक्षाशास्त्र के शोधप्रबन्ध अनुसन्धान-उपाधि-समिति की अनुमति से हिन्दी भाषा में भी प्रस्तुत किये जा सकेंगे।

२१. **शोध समितियां**- विद्यापरिषद् के निर्देशन में विश्वविद्यालय को विद्यावारिधि-उपाधि से सम्बन्धित सभी मामलों के सम्बन्ध में इन विनियमों के सापेक्ष निम्नलिखित समितियां विश्वविद्यालय में कार्य करेंगी।

१- विश्वविद्यालयीय शोध समिति (Research Degree Committee of the University (RDUC).

२- विभागीय शोध समिति (Departmental Research Committee (DRC).

३- शोध सलाहकार समिति (Research Advisory Committee (RAC).

२१.१- विश्वविद्यालयीय शोध समिति (RDUC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

१- कुलपति	अध्यक्ष
२- सम्बन्धित संकायाध्यक्ष-	सदस्य
३- निदेशक, अनुसन्धान	सदस्य

४- विभागाध्यक्ष — सदस्य

५- सम्बन्धित विषय में कुलपति द्वारा नियुक्त दो बाह्य विशेषज्ञ- सदस्य

६- उपकुलसचिव, शैक्षिक — संयोजक

२१.२ विभागीय शोध समिति (DRC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

१- विभागाध्यक्ष- अध्यक्ष

२- समस्त विभागीय आचार्य- सदस्य

३- एक विभागीय सह-आचार्य (वरिष्ठता क्रम से ३ वर्षों के लिये चक्रानुक्रम द्वारा)- सदस्य

४- एक विभागीय सहायक-आचार्य (वरिष्ठता क्रम से ३ वर्षों के लिये चक्रानुक्रम द्वारा)- सदस्य

५- मार्गनिर्देशक तथा सह-मार्गनिर्देशक (यदि कोई हो)- सदस्य

२१.३ शोध सलाहकार समिति (RAC) का गठन निम्नलिखित प्रकार से किया जायेगा।

१- निदेशक, अनुसन्धान - अध्यक्ष

२- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष- सदस्य

३- समस्त विभागीय आचार्य- सदस्य

४- कुलपति द्वारा नामित सम्बन्धित विषय का एक वाह्य विशेषज्ञ- सदस्य

५- मार्गनिर्देशक तथा सह-मार्गनिर्देशक (यदि कोई हो)- सदस्य

विशेष- किसी भी परिस्थिति में किसी भी नियम की अस्पष्टता की स्थिति में विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् द्वारा उपर्युक्त विनियमों के प्रावधानों में संशोधन/ परिवर्तन या उसके निरस्तीकरण का सुझाव विश्वविद्यालय के कार्यपरिषद् को प्रेषित किया जा सकता है। कार्यपरिषद् द्वारा लिये गये निर्णय मान्य होंगे।

29.03.25 29/03/25 29.3.25

29.3.25 29/3/25 29.3.25